यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–293/2017 प्रार्थना पत्र

श्रीमति सुरेखा देवी पत्नि मुकेश नागोरी, उम्र बालिग निवासी 49/3 मंगला चौक, नागोरी मोहल्ला, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति अनिता देवी पत्नि जितेन्द्र नागौरी, उम्र बालिग निवासी 49/3, मंगला चौक, नागौरी मोहल्ला, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

------प्रार्थीगण

बनाम

ी भैरू पिता ऊंकार जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ी बक्षु पिता ऊंकार जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ी राजेश पिता राधेश्याम समदानी, उम्र बालिग निवासी 23–महेश कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ी राजेन्द्र पिता राधेश्याम समदानी, उम्र बालिग निवासी 23–महेश कॉलोनी, भीलवाड़ा (राजस्थान)

चिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–25.2.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हरणीकंला र हल्का हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 468 रकबा 1 बीघा 6 , 469 रकबा 6 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड पक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण ाण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.6.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 3, 4, 5 व 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 3, 4, व 6 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 3, 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण 12.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 5 र से अधिकार पत्र श्री गणेश लाल जोशी, एडवोकेट ने दिनांक 12.2.2018 को प्रस्तुत किया, ामिल पत्रावली किया गया। जवाब आयन्दा देना चाहते हैं। विपक्षी संख्या 5 को कितने ही दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 4.2.2019 को जवाब ये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। ामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 4.2. े एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक का बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, ल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम हरणीकंला पटवार हल्का हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में त हाल आराजी नम्बर 468 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 469 रकबा 6 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 1 । 12 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। रगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, भीलवाड़ा को 400/–रूपये (चारः सौ रूपये) श्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। श्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा